भाग–III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 दिसम्बर, 2025

संख्या का०आ० 85/ह०अ० 25/2008/धा० 92/2025.– हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25) की धारा 92 की उप–धारा (1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पजांब पुलिस नियम, 1934, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशाोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2025 कहे जा सकते है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पंजाब पुलिस नियम, 1934 में, नियम 12.16 में,–

(i) उप–नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(8) ज्ञान परीक्षा (97%) वेटेज :– हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, उन उम्मीदवारों में से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए विज्ञापित पदों की संख्या के **दस** गुना के बराबर उम्मीदवारों को चयनित सूची में रखेगा, जिन्होंने अपनी शारीरिक माप परीक्षा और शारीरिक जाँच परीक्षा को अर्हक किया है, ताकि वे आगे ज्ञान परीक्षा में उपस्थित हो सकें। ज्ञान परीक्षा की विस्तृत प्रकिया निम्नानुसार होगी:–

(क) सभी उम्मीदवारों को सतानवे प्रतिशत (97%) वेटेज की ज्ञान परीक्षा देनी होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे;

(ख) परीक्षा का माध्यम द्विभाषिक अर्थात् हिन्दी/अंग्रेजी, होगा सिवाय जहां उम्मीदवारों के हिंदी/अग्रेंजी भाषा ज्ञान का परीक्षण किया जाना है;

(ग) परीक्षा पत्र में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामयिकी, सामान्य तर्क, बौद्धिक क्षमता, संख्यात्मक योग्यता, कृपि, पशुपालन, अन्य संबंधित क्षेत्र/ट्रेड इत्यादि के प्रश्न होंगे। कम्पूयटर के बेसिक ज्ञान से सम्बन्धित कम से कम दस प्रतिशत (10%) प्रश्न तथा हरियाणा के बारे में बेसिक ज्ञान से संबंधित कम से कम बीस प्रतिशत (20%) प्रश्न होंगे। प्रश्नों का मानक सिपाही के पद के लिए 10+2 परीक्षा और उप निरीक्षक के पद के लिये स्नातक उत्त्तीर्ण शिक्षित व्यक्ति की अनुमानित योग्यता जैसा होगा;

(घ) सामान्य प्रवर्ग के पद के लिए चयन हेतु विचार किये जाने के लिये, उम्मीदवार को ज्ञान परीक्षण में न्यूनतम पचास प्रतिशत (50%) अंक प्राप्त करने होंगे। आरक्षित प्रवर्ग के पद (चाहे ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज) के लिए विचारण के मामलें में उम्मीदवार को दस प्रतिशत (10%) की छूट मिलेगी अर्थात् ऐसे उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कट ऑफ चालीस प्रतिशत (40%) होगी।'';

(ii) उप–नियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(10) अतिरिक्त वेटेज (अधिकतम 03 अंक).– राष्ट्रीय कैडेट कौर का ए, बी या सी स्तर का प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवार को क्रमशः 01, 02 तथा 03 अंक मिलेंगे (सिपाही तथा उप निरीक्षक के लिए)।''।

डा0 सुमिता मिश्रा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 16th December, 2025

No. S.O. 85/H.A.25/2008/S.92/2025.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India read with sub- section (1) of section 92 of the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Police Rules, 1934, in their application to the State of Haryana, namely:-

1. (1) These rules may be called the Punjab Police (Haryana Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Punjab Police Rules, 1934, in rule 12.16;-

i. for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely.-

"(8) **Knowledge Test (97 % weightage)**:- The Haryana Staff Selection Commission shall shortlist candidates equal to ten times the number of advertised posts for each category among those who have qualified their Physical Measurement Test and Physical Screening Test, to further appear in the Knowledge Test. The detailed procedure of test shall be as follows:

(a) All candidates shall have to undergo a knowledge test of ninety seven percent (97%) weightage comprising of objective type, multiple choice questions. Each question will carry equal marks.

(b) The medium of examination shall be bilingual i.e. Hindi/English except where the knowledge of Hindi/English language of the candidates is to be tested.

(c) The test paper shall include questions on General Studies, General Science, Current Affairs, General Reasoning, Mental Aptitude, Numerical Ability, Agriculture, Animal Husbandry, other relevant fields/trade etc. There shall be at least ten percent (10%) questions relating to basic knowledge of computer and at least twenty percent (20%) questions relating to basic knowledge about Haryana. The standard of questions shall be as expected of an educated person, having passed 10+2 examination for the post of Constable and graduation for the post of Sub-Inspector.

(d) For being considered for selection against a post of general category, a candidate has to secure minimum fifty percent (50%) marks in the Knowledge Test. In case of consideration against a reserved category post (whether vertical or horizontal) the candidate shall receive a concession of ten percent (10%) marks i.e. the minimum cut off for such candidates shall be forty percent (40%) marks.";

ii. for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely.-

"(10) **Additional Weightage (maximum 03 marks):**- Candidates having NCC certificate of A, B or C level shall get 01, 02 and 03 marks respectively (for both Constables and Sub Inspectors).".

DR. SUMITA MISRA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Home Department.

12274—L.R.—H.G.P., Pkl.